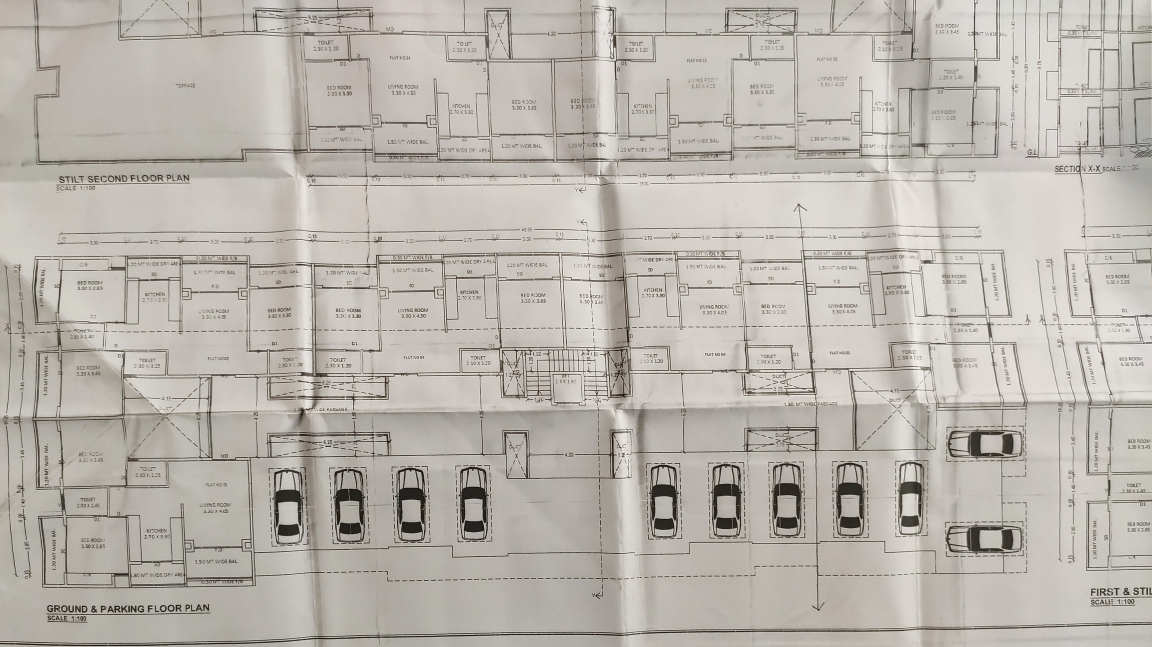
STILT SECOND FLOOR PLAN
SCALE 1:100
TERRACE
FLAT NO 24
FLAT NO 23
FLAT NO 22
SECTION X-X SCALE 1:100
G.L
FLAT NO 01
FLAT NO 02
FLAT NO 03
FLAT NO 04
FLAT NO 05
BED ROOM 3.30 X 2.85
BED ROOM 3.30 X 3.45
BED ROOM 3.30 X 3.30
BED ROOM 3.30 X 3.65
LIVING ROOM 3.30 X 4.05
LIVING ROOM 3.30 X 4.50
KITCHEN 2.70 X 3.80
TOILET 2.30 X 1.40
TOILET 2.10 X 1.25
TOILET 2.30 X 1.20
TOILET 2.10 X 1.20
1.20 MT WIDE BAL
1.50 MT WIDE BAL
1.20 MT WIDE DRY AREA
0.30 MT WIDE F/B
1.80 MT WIDE PASSAGE
LIFT 1.5 X 1.50
DUCT
GROUND & PARKING FLOOR PLAN
SCALE 1:100
FIRST & STIL
SCALE 1:100

44-239.64
80 Sqmt.

TOTAL BUILD UP A TYPE = 1474.12 SQMT.

GENERAL SPECIFICATIONS:

1) P.C.C. 1:4:8
2) R.C.C. FOOTING , COLUMNS BEAMS SLAB
3) EXTERNAL BRICK WALLS 0.15 M. THICK
4) INTERNAL BRICK WALLS 0.10 M. THICK
5) INTERNAL NEERU PLASTER
6) EXTERNAL DOUBLE COAT PLASTER
7) FLOORING DIAMOND TILES
8) SHOPS WILL HAVE ROLLING SHUTTER IN OPENING
9) BUILDING WILL BE PAINTED IN SNOECEM PAINT EXTERNALLY AND LIME WASH INTERNALLY

SCHEDULE OF OPENINGS :

TYPE	SIZE	DESCRIPTION
S.D	2.40 X 2.40	SLIDING DOOR
D1	0.90 x 2.40	T.W. Paneled Door
D2	0.75 x 2.40	T.W. Paneled Door
W	0.75 X 1.20	M.S Window
V	0.60 X 0.90	M.S Ventilator

PROPOSED RESIDENTIALBUILDING PLAN FOR S.NO 74/AB PLOT NO 1 AND 06 , AT VILLAGE SANSARI DEOLALI CAMP, TAL.&DIST. NASIK.
FOR.
VASTU REALTORS THROUGH PARTNER
MR.RAMESH H THORAT AND
OTHER 07

MR.RAMESH H THORAT
GPA HOLDER

MR.C.K CHANDANKHEDE
GPA HOLDER

SIGN OF OWNER.

CERTIFICATE OF AREA

CERTIFIED THAT THE PLOT UNDER REFERENCE WAS SURVEYED BY ME ON & DIMENSION OF ALL SIDES ETC OF THE PLOT STATED ON PLAN ARE MEASURED ON SITE AND AREA SO WORK OUTTALLIES WITH AREA STATED IN DOCUMENT OF OWNERSHIP / T.P.ACT

Ar. DHARAM PAPNEJA
REG.NO =C/A/97/21987

SIGN OF ARCHITECT.

Arc.Dharam.Papneja

ARCHITECTS & INTERIOR DESIGNERS
ADLEPHI ARCADE.SHOP NO 17.
DEVLALI CAMP, NASIK.
PH.9822283777

DRG NO.	NORTH	SCALE	DATE	DWG BY	CHK BY
		AS ABOVE		AVINASH	Ar.DHARAM. SIR.

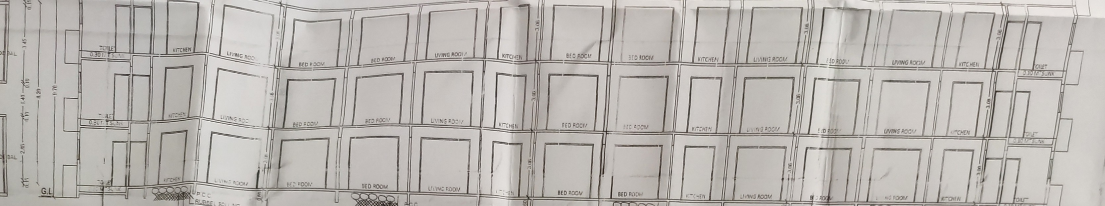

SECTION X-X SCALE 1:100

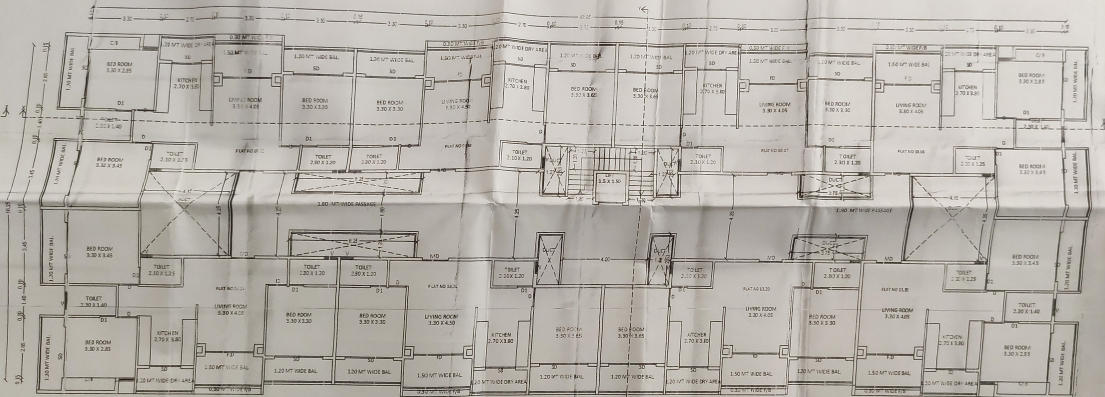

FIRST & STILT STILT FIRST & SECOND F LOOR PLAN

SCALE 1:100

Building Plan/Revised Building Plan Sanctioned
vide Cantonment Board Resolution No. CEO Sanctioned
Dated : 25/08/2022

Considered and Sanctioned under Section 238 of the Cantonment Act 2006 from municipal point of view only without prejudice to the right of ownership and subject to the terms and conditions under which the site is held by the applicant. The Sanctioned plan should be adhered to absolutely in every particular, Any deviation may entail demolition of the unauthorised erection. The work shall be commenced within two years from the date of sanction and shall be completed within two years from the date of the commencement of the wor[k]. The date of commencement of the work shall b[e] communicated by the applicant in writing to t[he] Chief Executive Officer. An application f[or] extension of time to complete the construction, if required, should be made before the expiry o[f] the date of sanction issued by the Office

Rahul Gajbhiye

CHIEF EXECUTIVE OFFICER
CANTONMENT BOARD DEOLALI

छावनी परिषद कार्यालय
कनाट रोड
देवलाली छावनी - 422401
नासिक, महाराष्ट्र
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय

Office of the Cantonment Board
Cannaught Road,
Deolali Cantonment – 422401
Nashik, Maharashtra
Govt. of India, Ministry of Defence

फोन : 0253-2491206, फ़ैक्स : 0253-2492599, ई-मेल : ceodeol-stats@nic.in

सत्यमेव जयते

संख्या: 3819/पी.डब्ल्यू/ ई-8 / 2548

दिनांक : 12 /10 /2022

सेवा में,

मे., वास्तु रियलिटस,
तर्फे भागीदार श्री रमेश थोरात और 07,
इब्राहिम कॉलोनी,
देवलाली कैम्प।

विषय: आवासीय भवन हेतु भवन आवेदनपत्र एवं नक़्शे की स्वीकृति हेतु।

प्रिय महोदय,

1. संदर्भ: संसरी देवलाली छावनी के रेवेन्यु सर्वे संख्या 74/अ+ब प्लाट संख्या 01 और 06 पर भवन नक्शा हेतु आपका आवेदन पत्र दिनांक 22.08.2022 |

2. संसरी देवलाली छावनी के रेवेन्यु सर्वे संख्या 74/अ+ब प्लाट संख्या 01 और 06 पर भवन नक्शे को नगरपालिका दृष्टिकोण से मालिकाना हक़ के पूर्वाग्रह बिना और नियम एवं शर्तों, जिनके अधीन आवेदक के द्वारा स्थल को अधिकार में लिए गया है, के अंतर्गत छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 238 के तहत परिषद ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, छावनी परिषद देवलाली द्वारा दिनांक 25.08.2022 को स्वीकृत दी गई है। स्वीकृत नक़्शे का हर हाल में पालन किया जाना चाहिए | छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 238 के अनुसार, उस तारिख से दो वर्ष के लिए उपलब्ध रहेगी जिस तारीख को स्वीकृति दी गई है, और यदि उस अवधि के दौरान आपके द्वारा स्वीकृत भवन का कार्य शुरू नहीं किया जाता है तो उसके बाद कार्य शुरू नहीं किया जाएगा जब तक कि आपके द्वारा दिए गए लिखित रूप में आवेदन पर परिषद उस अवधि को बढ़ाने की अनुमति नहीं दे देता है | कार्यालय को लिखित रूप में निर्माण शुरू होने की तारीख की सूचना दी जानी चाहिए, ऐसा न करने की स्थिति में पत्र जारी होने की तारीख को ही निर्माण शुरू होने की तारीख के रूप में माना जाएगा |

3. यह आवेदक / कब्जेदार को भविष्य में छावनी परिषद, देवलाली से किसी भी प्रकार की नागरिक सुविधायें जैसे आवागमन मार्ग, जलापूर्ति, ड्रेनेज आदि का दावा करने का कोई अधिकार नहीं देता है।

4. भवन नक़्शे के स्वीकृति के कारण आवेदकों और अन्य पक्षों के बीच / साथ किसी भी प्रकार की क़ानूनी विवाद उत्पन्न होने पर छावनी परिषद / मुख्य कार्यकारी अधिकारी को पक्षदार नहीं बनाया जाएगा।

5. कार्य शुरू होने के दो वर्षों के भीतर भवन का निर्माण कार्य पूरा किया जाना चाहिए | निर्धारित समय-सीमा के अन्दर भवन निर्माण कार्य पूरा न होने की स्थिति में, लिखित आवेदन करके छावनी परिषद से नयी स्वीकृति प्राप्त किए बिना इसे जारी नहीं किया जाएगा | यह ध्यान दिया जाए कि परिषद के द्वारा किसी भी मामले में दो बार से अधिक विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी |

6. निर्माण कार्य प्लिंथ स्तर तक होने के पश्चात इसकी सूचना कार्यालय को दी जाएगी और तदोपरांत इस कार्यालय के सहायक अभियन्ता (सड़क एवं भवन) उसकी जाँच करेंगे | इसके बाद ही आपको आगे निर्माण कार्य की अनुमति दी जाएगी | यदि आप इस कार्यालय को सूचित किए बिना या प्लिंथ पूर्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना प्लिंथ स्तर से ऊपर निर्माण करते है तो आपके द्वारा किए गए निर्माण कार्य को अनाधिकृत माना जाएगा | प्लिंथ स्तर के निर्माण में और स्वीकृत भवन नक़्शे में किसी भी प्रकार का विचलन / अतिक्रमण होने पर, स्वीकृति के रद्द होने का जोखिम उठाना होगा, इसे ध्यान में ले |

7. निर्माण / पुनःनिर्माण की पूर्ति होने के 30 दिनों के अन्दर आपको छावनी अधिनियम 2006, की धारा 242 के तहत छावनी परिषद / मुख्य कार्यकारी अधिकारी को लिखित रूप में सूचना देने की आवश्यकता है और परिषद को सूचना प्राप्त होने के पश्चात अधिकृत अधिकारी द्वारा भवन की जाँच की जाएगी एवं सुनिश्चित किया जाएगा कि परिषद / मुख्य कार्यकारी अधिकारी के द्वारा स्वीकृत अनुसार भवन का निर्माण कार्य किया गया है |

8. आपको विषय परिसर में 19 पेड़ लगाना होगा, जिसकी देखभाल आपके द्वारा की जायेगी एवं वह स्वीकृति का एक भाग होगा और उपरोक्त वर्णित अनुसार विभिन्न स्तरों में उसकी जाँच भी की जाएगी और जमा कि गई राशि की वापसी का दावा 08 वर्ष की अवधि के पूर्णता के बाद 01 वर्ष तक ही वैध होगा | आवेदक उपक्रम में सफल अनुपालन के अधीन यानी 19 लगाए गए पौधों को अच्छी तरह से बनाए रखना और यदि इस कार्यालय द्वारा जाँच के दौरान परिसर के अंतर्गत कथित संख्या में बढे हुए पेड़ पाएं गए तो 05 वर्ष की अवधि के पूर्णता के बाद ही 01 वर्ष अवधि के दरम्यान पेड़ हेतु जमा की गई राशि वापस की जाएगी | यदि उक्त निर्धारित अवधि के भीतर वृक्ष जमा की वापसी के लिए राशि का आवेदन नहीं किया गया , तो जमा राशि को जब्त कर लिया जाएगा और छावनी बोर्ड देवलाली खाते में जमा किया जाएगा । कृपया इसे ध्यान में रखें |

9. उपरोक्त पैरा 7 के अनुसार, भवन निर्माण पूर्ण होने के 30 दिनों के अन्दर आपको इसकी जानकारी इस कार्यालय को देनी होगी, ऐसा न करने की स्थिति में भवन पर कर स्वीकृत अवधि समाप्त होने के बाद से लगायी जाएगी, कृपया इसे ध्यान में ले |

10. छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 82 के तहत सूचना के अनुसार, उपरोक्त पैरा (2) में उल्लिखित छावनी परिषद संकल्प के माध्यम से छावनी परिषद द्वारा आपको दिए गए स्वीकृति एवं इस पत्र के द्वारा आपको दिए गए भवन नक़्शे के अनुसरण में, आपको उक्त भवन के निर्माण / पुनःनिर्माण पूर्ण होने की तारीख एवं उक्त भवन पर कब्ज़ा किए जाने की तारीख की सूचना इस कार्यालय को देना आवश्यक है |

11. छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 82(1) के तहत भवन के पूर्ण होने या भवन पर कब्ज़ा करने की तारीख, जो भी पहले हो, से 30 दिनों के अन्दर आपको मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सूचना देना अनिवार्य है, विफल होने पर छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 82(2) के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी |

12. आपको संशोधित विकास शुल्क का भुगतान करना होगा, यदि लगाया जाता है |

13. भवन निर्माण पूर्ण होने के पश्चात, आवेदक को छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 246 के तहत मुख्य कार्यकारी अधिकारी से पूर्ति प्रमाणपत्र करना होगा | पूर्ति प्रमाणपत्र जारी करने से पहले, जलसंबंधन और विद्युतीय संबंधन हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र नहीं दिया जाएगा, कृपया इसे ध्यान में ले |

14. अनुमोदित भवन नक़्शे में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा | भवन निर्माण पश्चात आपको उचित पूर्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा | पूर्ति प्रमाणपत्र जारी होने के पश्चात ही भवन पर कब्ज़ा किया जाएगा | छावनी अधिनियम, 2006 के तहत वर्तमान उपविधियों / निर्णय अनुसार उचित नियम / प्रक्रियाओं का पालन न करने पर आवेदक को जैसा लागू हो, जुर्माना देना होगा |

15. यदि उक्त सम्पति से सम्बंधित कोई विवाद चल रहा है या विचाराधीन है, यदि भविष्य में उक्त सम्पति से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसका जिम्मेदार स्वयं आवेदक होगा | उक्त हेतु यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगी और कथित भवन नक्शा रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगी |

16. आपको अचल सम्पति नियामक अधिनियम (रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट – आर.ई.आर.ए.) में उल्लिखित नियमो एवं शर्तों का पालन करना होगा, यदि लागु हो |

17. आवेदक के द्वारा स्थल नक्शा में दर्शाये अनुसार आंतरिक सड़क, पथदीप, पानी कि पाइपलाइन, भूमिगत नालियाँ, कचरा पेटी आदि का प्रावधान शेष 30% निर्माण पूर्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने से पहले करना होगा ।

18. प्लिंथ पूर्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने से पहले आपको भवन योजना में दिखाए गए मौजूदा ढांचे को ध्वस्त करना होगा ।

19. आपको स्वीकृत निर्माण स्थल पर धातु का एक बोर्ड लगाना होगा जिसपर मालिक का नाम, सर्वे संख्या, प्लाट संख्या, शिवर, छावनी परिषद संकल्प संख्या, स्वीकृति की तारीख और स्वीकृति की वैध अवधि आदि स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए | धातु के बोर्ड पर ऐसा लिखा होना चाहिए जो 50 फीट की दुरी से भी नग्न (खुली) आँखों द्वारा पढ़ा जा सके |

भवदीय| Yours faithfully,

प्रशासनिक एवं जनसंपर्क अधिकारी / Administrative Officer & PRO
मुख्य कार्यकारी अधिकारी / For Chief Executive Officer
देवलाली छावनी परिषद के लिए / Deolali Cantonment Board

संलग्न: विधिवत अनुमोदित एवं मुहर लगी हुई
स्वीकृत नक़्शे (ब्लू प्रिंट) की प्रति
इसकी प्रति: जल पूर्ति विभाग।
छावनी बोर्ड, देवलाली : उचित कार्रवाई हेतु |

छावनी परिषद कार्यालय
कनाट रोड
देवलाली छावनी 422401 –
नासिक, महाराष्ट्र
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
सत्यमेव जयते

Office of the Cantonment Board
Cannaught Road,
Deolali Cantonment – 422401
Nashik, Maharashtra
Govt. of India, Ministry of Defence

फोन : 0253-2491206, फ़ैक्स : 0253-2492599, ई-मेल : ceodeol-stats@nic.in

संख्या: 3819/बी.एल.डी./ई-8/555 दिनांक : 03 /03/2023

सेवा में,

मे., वास्तु रियलिटस,
तर्फे भागीदार श्री रमेश थोरात और 07,
इब्राहिम कॉलोनी,
देवलाली कैम्प |

विषय: प्लिंथ पूर्ति प्रमाण पत्र / PLINTH COMPLETION CERTIFICATE.

संदर्भ: आपका आवेदन पत्र दिनांक 13.02.2023 |

02. उपर्युक्त पत्र के संदर्भ में संसारी, देवलाली के रेवेन्यु सर्वे संख्या 74/अ+ब प्लाट संख्या 01 और 06 पर टाइप-ए (01 ते 04, 06 ते 09, 12 ते 17 और 23 & 24) के आवासीय भवन हेतु प्लिंथ स्तर तक भवन निर्माण का कार्य पूर्ण होने के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता हैं कि आवासीय भवन निर्माण के आगे का काम इस कार्यालय के पत्र संख्या 3819/बी.एल.डी/इ-8/2448 दिनांक 12.10.2022 द्वारा स्वीकृत भवन नक़्शे के अनुसार किया जाए |

With reference to above-said letter regarding completion of residential building construction work upto plinth level for **Type – A(Flat No 01 to 04, 06 to 09, 12 to 17 & 23 & 24)** buildings on Revenue Survey Number 74+A+B Plot No 01 & 06 of Sansari, Deolali, it is to inform you that further work of buildings may be proceeded with as per sanctioned building plan bearing this office letter No. 3819/BLD/E-8/2448 dated 12.10.2022.

03. उपरोक्त वर्णित इस कार्यालय पत्र के अनुक्रम संख्या 8 के अनुसार आप विषयांकित परिसर में वृक्षारोपण करने में विफल रहे हैं | कृपया उक्त का शीघ्र अनुपालन करे |

You have failed to undertake the tree plantation in the subject premises as per the Sr.No. 8 of this office letter mentioned above. Please comply with the same immediately.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अनुमोदित |
CEO has approved.

भवदीय/~~Yours~~ faithfully.

(यू व्ही गोरवाडकर)
सहायक कार्यकारी अधिकारी
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
देवलाली छावनी परिषद के लिए

(UV GORWADKAR)
Assistant Executive Officer,
For Chief Executive Officer
Deolali Cantonment Board